



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08042025-262344
CG-DL-E-08042025-262344

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1619]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 8, 2025/चैत्र 18, 1947

No. 1619]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 8, 2025/CHAITRA 18, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2025

का.आ. 1650(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 (2024 का 15) की धारा 89 की उपधारा (1) के खंड (ठ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास स्कीम, 2024 के अधीन 30 अप्रैल, 2025 को उस अंतिम तारीख के रूप में अधिसूचित करती है जिसको या जिससे पहले कर बकाया के संबंध में घोषणा, उक्त अधिनियम की धारा 90 के उपबंधों के अनुसार पदाभिहित प्राधिकारी के पास घोषणाकर्ता द्वारा फाइल की जाएगी।

[फा. सं. 32/2025/फा.सं. 370142/9/2025-टीपीएल]
सुरबेन्दु ठाकुर, अवर सचिव, कर नीति और विधान प्रभाग

MINISTRY OF FINANCE
(Department Of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2025

S.O. 1650(E).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of sub-section (1) of section 89 of the Finance (No. 2) Act, 2024 (15 of 2024), the Central Government hereby notifies under the Direct Tax *Vivad se Vishwas* Scheme, 2024, the 30th day of April, 2025 as the last date, on or before which a declaration in respect of tax arrear shall be filed by the declarant to the designated authority, in accordance with the provisions of section 90 of the said Act.

[F. No. 32/2025/ F. No. 370142/9/2025-TPL]
SURBENDU THAKUR, Under Secy., Tax Policy and Legislation